न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 66/2021 बउनवानी दीपक किराड बनाम लो.सू.अधि.एवं प्र.अ. जिला अभिलेखागार
पुत्र श्री केलाश खटीक, निवासी ग्राम बपुई तहसील बौंली

GCMS No-2021/162 **on line appeal no.321077360454067**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
27.8.2021	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। सहायक लोक सूचना एवं प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 9.7.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र आरटीआई पोर्टल पर प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः–

1. काश्तकार कैलाशचन्द पुत्र मूलचन्द खटीक आवंटन खसरा नम्बर पुराना 1081/1 वर्तमान खसरा नम्बर 1858 के आवंटन पत्र एवं कब्जा रिपोर्ट संलग्न नक्शा ट्रेस की प्रमाणित नकल उपलब्ध करवायें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस कमांक/229 दिनांक 24.8.2021 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 9.7.2021 के बिन्दु संख्या 1 में चाही गयी सूचना के संबंध में प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार सवाईमाधोपुर के पत्रांक 199 दिनांक 13.7.2021 से अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है कि अपने प्रार्थना पत्र में आवंटन अधिकारी एवं आवंटन आदेश दिनांक का उल्लेख किया जावे ताकि सूचना उपलब्ध करवायी जा सके। किन्तु अपीलान्ट द्वारा आवंटन अधिकारी का नाम एवं आवंटन दिनांक से अवगत नही करवाने के कारण सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 9.7.2021 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 मे चाही गयी सूचना का पूर्ण विवरण अंकित नही होने के कारण अधिनियम की तय समय सीमा मे (जरिये पत्रांक 199 दिनांक 13.7.221 से) अपीलान्ट को चाही गयी सूचना का पूर्ण विवरण अंकित करने बाबत लिखा जा चुका था किन्तु अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना का पूर्ण विवरण यथा आवंटन अधिकारी के कार्यालय का नाम एवं आवंटन दिनांक से सहायक लोक सूचना अधिकारी प्र.अ. जिला अभिलेख[illegible] अवगत नही करवाने के कारण अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध नही करवायी [illegible] अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनवाया गया।

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.10.22 16:44:21 IST
Reason: SelfAttested